नियम एवं धाराऐं

बाल कल्याण समिति

प्रशिक्षण पुस्तक

डॉ. श्रुति खरे

सन् - मई 2023

Scanned with CamScanner

बाल कल्याण समिति प्रशिक्षण

अनुसूचि –

क्रमांक	विवरण	पेज क्रमांक
1	किशोर न्याय संशोधित नियम	1 – 6
2	बच्चों से संबंधित कानून	6 – 10
3	जांच	10 – 11
4	विधिक रूप से मुक्त करने की प्रकिया	11 – 13
5	केयर और प्रोटेक्शन के संबंध में आर्डर पास करते समय समिति यह निर्णय देगी	13 – 14
6	प्रवर्तकता	14–15
7	दत्तक ग्रहण	15
8	पोषण देखरेख	15 – 16
9	जे. जे एक्ट की धारायें	16 – 20
10	बालक कल्याण समिति के दस्तावेज	21
11	आई. पी. सी. की धारायें	22 – 31
12	लैंगिक अपराध	32
13	बालक कल्याण समिति की चुनौतियां	32 – 33
14	बालक कल्याण समिति और महत्वपूर्ण धारायें	34 – 37

Scanned with CamScanner

बाल कल्याण समिति

धारायें 27 बाल कल्याण समिति

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्त्तव्यो का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी.

(2) समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होगें जिनमें से कम से कम एक महिला होगी और दूसरा बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा.

(3) जिला बालक संरक्षण एकक एक सचिव और उतने अन्य कर्मचारी–वृंद उपलब्ध कराएगा जितने समिति को उसके प्रभावी कार्यकरण हेतु सचिवालयिक सहायता के लिए अपेक्षित हों.

(4) समिति के सदस्य के रूप में उन्हीं व्यक्ति की नियुक्ति होगी. जिन्होने बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थय या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री धारण किया हो और जब तक ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थय, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सात वर्षो से सक्रिय रूप से अंतर्वलित न हो या बाल मनो विज्ञान या मनोरोग या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थय या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांग जन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत् वृतिक न हो.

बालकों की केयर और सुरक्षा से संबंधित नियम 2015

(क. 2 सन् 2016)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधित 2021

नियम 31

1 कमेटी के पास ऐसे बालकों को कौन भेजेगा?

कोई भी पुलिस अधिकारी अपचारी पुलिस अधिकारी या शासन द्वारा नियुक्ति ऐसा कोई भी अधिकारी या किसी भी विधि के अंतर्गत कुछ समय के लिये नियुक्ति व्यक्ति के द्वारा भी ऐसे बालक को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

2 किसी भी सरकारी नौकर के द्वारा

Scanned with CamScanner

3 किसी भी निजी संस्था के द्वारा जो शासन के द्वारा मान्य हो

4 बालक कल्याण अधिकारी के द्वारा

5 किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा अथवा जनता के मुखिया के द्वारा

6 बालक स्वयं कमेटी के पास जा सकता हैं

7 किसी भी नर्स डाक्टर आदि के द्वारा जो चाहे शासकीय या अशासकीय हो

नोट– बालक को चौबीस घंटे के भीतर कमेटी को सौंप दें यात्रा का समय अलग रहेगा इन्क्वायरी का प्रतिवेदन जमा करने के लिये शासन नियम बना सकता है उस अवधि मे उसे जमा करना होगा ।

32 अगर बालक अपने माता पिता से अलग पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा की जाये वह भी चौबीस घंटे के भीतर यात्रा का समय अतिरिक्त रहेगा।

33 यदि बालक को नियत समय के भीतर कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह कार्य अपराध की श्रेणी मे आयेगा।

34 नियत समय के भीतर बालक को कमेटी के सामने न प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी को 6 माह तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों एक साथ ।

35 यदि कोइ निर्धन या शारीरिक मानसिक दष्टि से कमजोर अभिभावक अपने बालक को कमेटी सौंपना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है।

पूछताछ या परामर्श देने के बाद यदि कमेटी संतुष्ट हो जाती है तो ऐसे अभिभावक सौंपनामा पर समिति के सामने हस्ताक्षर करेगें ।

सौपने के पहले ऐसे अभिभावको को दो माह का समय दिया जायेगा कि वे अपने निर्णय पर फिर से विचार कर लें।

पूछताछ के ऐसे प्रतिवेदन पन्द्रह दिनों के भीतर कमेटी के पास आ जाना चाहिये और समिति को अपना अंतिम निर्णय चार माह की अवधि में दें देना चाहिए।

यदि बालक 6 वर्ष से कम उम्र का है तो उसे विशेष अडाप्शन एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।पूछताछ के बाद समिति संतुष्ट होने के बाद बालक को विशेष दत्तक या अडाप्शन एजेंसी के पास भेज सकती है या अपने घर अथवा अन्यत्र जगह 18 वर्ष की उम्र होने तक । कमेटी अपने निर्णय पर फिर से विचार भी कर सकती है और ऐसा निर्णय ले सकती है जो कि बालक के उज्ज्वल भविष्य से संबंधित हो ।

36 पेंडिग केसों के संबंध मे समिति हर तीसरे माह में अपना प्रतिवेदन जिला जज के पास भेजेगीं पेंडिंग केसो के संबंध में जिला जज मार्ग दर्शन करेगा। यदि मार्गदर्शन के बाद भी तीन माह से अधिक समय तक कोई केस लंबित रहता है तो जिला जज ऐसी समिति को भंग कर सकता है और नयी समिति गठन करने का आदेश दे सकता हैं। नयी समिति गठन की अवधि मे राज्य शासन एक स्टेंडिंग पेनल बना सकता है जो समिति के स्थान पर कार्य करेगा

Scanned with CamScanner

37 केयर और प्राटेक्शन के संबंध में आडर पास करते समय

1 समिति यह निर्णय देगी कि उसे केयर और सुरक्षा की आवश्यकता है

2 बालक को अपने माता पिता अभिभावक या बालक कल्याण अधिकारी की सुरक्षा में भेज सकती हैं

3 बालक को जहां भेजा जा रहा है समिति उस संस्था की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देगी कि वहां बालक सुरक्षित रहेगा या नहीं.

4 यह भी देखा जायेगा कि बालक को वहां थोडे समय के लिये भेजा रहा है या अधिक समय के लिए.

5 फोस्टर केयर का निर्णय धारा 44 के अंतर्गत लिया जायेगा

6 स्पोन्सरशिप का निर्णय धारा 45 के अंतर्गत लिया जायेगा

7 बालक जहां भेजा जा रहा है वहां मडिकल परामर्श शिक्षा आदि की व्यवस्थायें होनी चाहिऐ ।

8 18 वर्ष के बाद जब बच्चा वापस संस्था से आता है तो उसे अपने पैरो पर खड़े होने के संसाधन दिये जाने चाहिये ताकि वह सामान्य जीवन कर सके ।

43 ओपन सेल्टर

शासन द्वारा पंजीकृत होंना चाहिए। ऐसी संस्थाये बालक को शिक्षा, कौशल आदि की भी व्यवस्था करेंगी जिससे वहां से जाने के बाद बालक अपने पैरों पर खडे रह सके। ऐसी संस्थायें वहां रह रहे बालको के संबंध में समिति को मासिक प्रतिवेदन भेजेगी कि बच्चो की केयर की जा रही है और वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

44 फोस्टर केयर

समिति समय के लिये बालको को फोस्टर केयर होम में भी भेजा जा सकता है । ऐसे परिवारो का चयन उनमे उपलब्ध सुविधाओ के आधार पर किया जायेगा, ऐसे लोगों को बालको को सुरक्षित रखने का अनूभव भी होना चाहिऐ. राज्य शासन ऐसी संस्था को बालको की संख्या के आधार पर निर्धारित धनराशि का अनुदान भी देती है। निर्धन अभिभावक जो अपने बालक को देखने के लिये फोस्टर केयर करने मे असमर्थ है वे अपने बालक को देखने के लिये फोस्टर केयर ऐजेंसी एक नियत समय के बाद जा सकते है और वे संतुष्ट हैं तो ठीक है अथवा वे कहते है कि अपने बच्चो की केयर करने की स्थिति में है तो बालक उन्हें सौंपा जा सकता है। फोस्टर परिवार हर दृष्टि से बालक का पालन पोषण करने, शिक्षा आदि की व्यवस्था करने के लिऐ उत्तरदायी होगा । इस संबंध में शासन वे नियम बना सकती है जिनके आधार पर फोस्टर घरों में बच्चो को रखा जाये । समिति हर माह में ऐसे फोस्टर घरों

Scanned with CamScanner

में जाकर बच्चो से मिलेगी और उनके पालन पोषण, शिक्षा आदि के संबंध में जानकारी लेगी । अडाप्टर योग्य बच्चो को लंबे समय तक फोस्टर केयर में न रखा जाये।

45 स्पोन्सरशिप

43 राज्य शासन इस संबंध में नियम बनायेंगी कि कौन स्पोन्सरशिप कर सकेगा

1. वह मां जो विधिवा हो, तलाकशुदा हो या परिवार के द्वारा निकाल दी गई हो ।
2. जो बच्चा आरफन हो और किसी परिवार के साथ रह रहा हो
3. जो पालक किसी गंभीर बीमारी से पीडित हो
4. जिसके माता पिता गंभीर दुर्घटना के शिकार हो और आर्थिक दृष्टि से बच्चो की सुरक्षा करने में असमर्थ हों ।
5. स्पान्सरशिप लेनेवाले परिवार को शासन द्वारा बच्चो की केयर के लिए आर्थिक मदद दी जाती है जिससे उनका जीवन गुणात्मक ढंग से विकसित हो सके ।
6. 18 वर्ष पूरे होने पर बच्चा ऐसे संस्थान छोड देगा और उसे अपने पैरो पर खडे होने के लिऐ राज्य शासन द्वारा उसके पुर्नवास हेतु आर्थिक सहयोग दिया जायेगा.

46 आबजरवेशन होम्स

पूछताछ आदि यदि पेंडिग हो तो ऐसे बालकों के लिए राज्य शासन आवजरवेशन होम्स भी बनायेगा जहां बालक कुछ दिनों के लिए रखा जा सकता है. ऐसे होम्स निजी भी हो सकते है और शासकीय भी. इन घरों का कार्य व्यवस्था करना और निरीक्षण करना होगा. अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो बालक को वहां से पृथक किया जा सकता है. आवजरवेशन घरों में उम्र के अनुसार बालक बालिकाओं को अलग–अलग रखा जायेगा, उनका अपराध किस कोटि का है उसे भी ध्यान में रखा जायेगा.

47 स्पेशल होम्स

न्याय के लिए ऐसे बालकों के लिए राज्य शासन शासकीय या निजी स्पेशल होम्स भी बना सकती है ये जिले स्तर पर होंगे और ऐसे बालकों के लिए पुनर्वास में सहयोग प्रदान करेगें. ऐसी संस्थाओं के द्वारा बालकों को अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान की जायेगी. नियमों के नियमों के निर्माण के समय बालकों की उम्र और उनके लिंग आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा.

Scanned with CamScanner

48 प्लेस आफ सेफटी

राज्य शासन कम से कम प्रत्येक जिले में एक ऐसा स्थान निर्मित करेगा जहां 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के पुनर्वास के पहले रखा जा सके. अथवा जन बालकों की उम्र 16 से 18 वर्ष के मध्य है इनमें बालकों के रहने के लिए स्वतंत्र और सुविधापूर्ण व्यवस्था होगी.

49 चिल्ड्रन होम

प्रत्येक जिले में शासन की ओर से या निजी पंजीकृत संस्थाओ में उन बालकों को रखा जायेगा जिन्हे विशेष रूप से सुरक्षा, चिकित्सा की आवश्यकता, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास, पुनर्वास आदि की आवश्यकता हो. इनमें विशेष रूप से आवश्यक सुविधाओं कि व्यवस्था रहेगी. राज्य शासन ऐसी संस्थाओं में मानीटरिंग आदि की भी विशेष व्यवस्था रखेगी, जिससे हर बच्चे का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जा सके.

50 फिट फेसेलिटि

कमेटी पूछताछ के बाद ऐसी विशेष सुविधाओं के संबंध में जानकारी देगी जिससे हर बालक का व्यक्तिगत रूप से विकास हो सके और किसी की उपेक्षा न कि जा सके. यह बोर्ड ऐसी सुविधायें किसी बालक के संबंध में निरस्त भी कर सकता है. कारण लिपिबद्ध होने चाहिए.

51 फिट पर्सन

केयर, सुरक्षा, चिकित्सा, मार्गदर्शक आदि की व्यवस्था देने के लिए फिट पर्सन के संबंध में कमेंटी अपना निर्णय आवश्यक पूछताछ करने के बाद देगी. वह आवश्यक परिक्षण करने के बाद किसी भी बालक का प्रदत्त सुविधाओं को वापस भी ले सकती है. कारणों को लिपिबद्ध करना आवश्यक होगा.

52 स्पोन्सरशिप

राज्य शासन के अनुसार इस कार्यक्रम में निम्न शामिल हो सकते हैं–

1 व्यक्तिगत से व्यक्तिगत.
2 समूह स्पोन्सरशिप
3 समाज स्पोन्सरशिप
4 स्पोन्सरहशिप के द्वारा किसी परिवार की सहायता करना और
5 बालक होम्स और स्पेसल होम्स की सहायता करना

यह कार्यक्रम जिला स्तरीय बालक प्रोटेक्शन और केयर संस्था के द्वारा चलाया जायेगा जिसमें कुछ व्यक्ति या परिवार रहेगें या वे संस्थाये जो बालक केयर से संबंधित है.. इस पेनल में शिक्षा, मेडिकल सहायता, पोषण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल होगे. इस ततरह का पेनल तैयार कर जिला स्तरीय समिति उसे कमेटी अथवा बालकों के कोर्ट के पास भेजेगी, आवेदक संस्था या व्यक्ति के घर जाकर सुविधाओं को देखेगी इसके बाद फार्म 36 में वहां

Scanned with CamScanner

बालकों को भेजने का आदेश पारित करेगी. व्यक्तिगत स्पोन्सरशिप के संबंध में माता के नाम पर बैंक में बच्चे के नाम से खाता खोला जायेगा ताकि उसका प्रशिक्षण आदि का कार्य समुचित ढ़ग से हो सके. इस स्पोन्सरशिप की अवधि तीन वर्ष से अधिक नही हो सकती.

25 स्पोन्सरशिप संस्था छोडने के बाद बालकों की केयर 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद जो बालक केयर संस्थाये छोड़कर बाहर आते हे उनके कल्याण के लिए राज्य शासन कार्यक्रम बनायेगी ताकि उनका पुनर्वास हो सके. केयर संस्था छोड़ने के बाद बालक को 21 वर्ष की उम्र तक सहायता दी जा सकेगी विशेष स्थितियों में उसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है.

26 जिला स्तरीय केयर समिति जिला में उपलब्ध बालकों को केयर और सुरक्षा देने वाली संस्थाओं की सूची बनायेगा और उनका अपने पास रिकार्ड रखेगा. बालक प्रोवेशन अधिकारी या बोर्ड या कमेटी किसी बालक की उम्र 18 वर्ष होने के दो माह के दो माह पहले सूची तैयार करेगा. और यह तय करेगा कि अब उसे कां भेजा जा सकता है. राज्य शासन ऐसे बच्चों की केयर के लिए अनुदान देगा जो सीधे उसके खाते में जमा होगा.

आफ्टर केयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल मुद्दे–

अस्थायी रूप से 6 से आठ व्यक्तियों के लिए किराये के मकान की सुविधा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कि लिए स्टाइपेन्ड या छात्रवृत्ति उस समय तक के लिए जब तक वह नौकरी प्राप्त नहीं कर लेता, या उसकी जीविका का प्रबंध नहीं हो जाता अथवा उच्च शिक्षा पूरी नहीं हो जाती.

– राष्ट्रीय कौशल विकास या राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं में एसे प्रशिक्षण की सुविधा दी जा सकती हैं.

– कठिनाइयों का सुलझाने के लिए एसे एक मार्गदर्शक की सुविधा भी दी जायेगी.

– उस निर्माणपरक कार्योकी ओर प्रेरित करने के लिए भी प्रयत्न किये जा सकते हैं

– प्रशिक्षण के बाद एसे लोन या अनुदान भी दिया जा सकता है.

बच्चों से सम्बन्धित कानून

1	कन्या भ्रूण हत्या	– 299 to 318 I.P.C
	बच्चे की बलि देना	– भारतीय दंड संहिता 1860
	बाल विवाह	– बाल विवाह प्रतिषेध नियम एक्ट 2006
	बाल श्रम	– बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) 1986
	निःशम्त बच्चे	– निःशम्त कानून 1995
		मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987

Scanned with CamScanner

बाल यौन शोषण – पास्को एक्ट अधिनियम 2012

मानव व्यापार – 1 I.P.C 1860

2 J.J. act 2015

3 बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) – 1976

4 बाल श्रम 1986

5 बाल विवाह प्रतिषेध नियम – 2006

6 अभिभावकता एवं संरक्षण अधिनियम 1890

7 हिंदूदत्तकता एवं भरण पोषण अधिनियम 1956

8 अनैतिक व्यापार (निवारण अधिनियम)1956 संशोधित 1986

9 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

10 मादक पदार्थ अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1988

11 sc and st (अत्याचार निवारण) 1986

12 मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम – 1994

13 छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण – 2013

14 अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम 1956

देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक

		धाराऐं
1	Missing child J.J act	धारा2(14) vii
2	Run away child ;भागा हुआ बच्चा	धारा2(14) vii
3	Abused, tortured or exppited for the purpose of sexual abuse	धारा2(14) (viii)
4	Who is found valnerable and is (असुरक्षित) likely to be inducted into drug abuse or trafficking	धारा 2(14) ix
5	who जिसका पूर्णतया अयुक्तियुक्त अभिलाभो के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है.	धारा 2(14) x
6	जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या	धारा 2(14) xi

Scanned with CamScanner

प्राकृतिक आपदा से पीडित है या प्रभावित है, या

7 जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता–पिता और कुटुम्ब के सदस्यों, संरक्षको और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिये उत्तरदायी होने की संभावना है, या — धारा 2(14) xii

8 जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नही है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नही है, या — धारा 2(14)(i)

9 जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत श्रम विधियों का उल्लघंन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है या — धारा 2(14)(ii)

10 जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षण हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने – — धारा 2(14) iii

(क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है, या — धारा 2(14) (क)

(ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युम्ति युक्त संभावना है, — धारा 2(14)(ख)

(ग) किसी अन्य बालक या बालको का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उएसके साथ दुर्व्यवहार, — धारा 2(14)(ग)

(11) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीडित है जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नही है या जिसके माता–पिता या संरक्षण है, किंतु वे उसकी

Scanned with CamScanner

देखरेख करने में यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए असमर्थ है, या

जिसके माता–पिता अथवा कोई संरक्षण है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षण को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए,समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है या — धारा 2(14)v

(12) जिसके माता–पिता नही हैं और कोइ भी उसके देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने उसका परित्याग या अम्यर्पण कर दिया है, या — धारा 2(14)vi

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रकिया

नियम

18 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना –

1 C.N.C.P बालक को कार्य– समय के दौरान समिति के बैठक स्थल पर समिति के समझ और कार्य–समय के बाद ड्यूरी रोस्टर के अनुसार समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सकता, वहां स्वतः समिति बालक तक पहुंचने के लिये ऐसे बालक के स्थान तक जाएगी

2 जो कोई भी बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है, वह प्रारूप 17 में रिपोर्ट करेगा जिसमें बालक तथा जिन परिस्थितियों में वह पाया गया उन परिस्थितियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जायेगा.

3 यदि बालक की आयु दो वर्ष से कम है, जो चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ है, तो C.N.C.P बालक के संपर्क में आने वाला व्यक्ति या संगठन 24 घंटे के भीतर उस बालक की फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट भेजेगा और उस बालक के चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होते ही उसे इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

4 बालक से विचार–विमर्श करने के बार समिति उस बालक को उसके माता–पिता या संरक्षक के पास या जिस समिति के समझ बालक को प्रस्तुत किया गया हो, उस समिति के निकट बाल गृह होने पर ऐसे बाल गृह में उस बालक को रखे जाने तथा ऐसा गृह मौजूद न होने की दशा में उस बालक को किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था में रखे जाने के निर्देश जारी कर सकेगी.

5 समिति या कर्तव्य पर उपस्थिति समिति का सदस्य बालक को बालगृह में रखे जाने के आदेश प्ररूप 18 में जारी करेगा.

Scanned with CamScanner

6 समिति या कर्तव्य पर उपस्थिति समिति का सदस्य उनके समझ प्रस्तुत किए गए बालक की तात्कालिक चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता होने पर ऐसी जांच के आदेश जारी करेगे.

7 परित्यकत या गुमशुदा या अनाथ बालक के मामले में जांच कार्य लंबित रहने के समय बालक की अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी करने से पहले समिति यह देखेगी कि ऐसे बालक के विषय में जानकारी अभिहित पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए.

8 समिति यथा स्थिति जांच कार्य लंबित रहने के समय या बालक के प्रत्यावर्तन के समय उसके माता–पिता संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखने के लिए प्ररूप 19 में आदेश करते हुए ऐसे माता–पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति को प्ररूप 20 में वचनबंध पर हस्ताक्षर करने को कह सकेगी.

9 जब कभी समिति किसी बालक को किसी संस्था में रखे जाने का आदेश देती है, तब जांच कार्य लंबित रहने के समय अल्पकालिक स्थापन के प्ररूप 18 में जारी किए गए आदेश की प्रति बाल देखरेख संस्था और बालक के माता–पिता संरक्षक और पिछले अभिलेख के ब्यौरे के साथ ऐसी संस्था के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी. ऐसे आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई का भी भेजी जाएगी.

जांच

1 धारा 31 के अधीन बालक को पेश किये जाने पर या रिर्पोट की प्राप्ती पर समिति, ऐसे रीति से जांच करेगी जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिर्पोट पर बालक को बाल गृह या आश्रम गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र समाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी.

परंतु छः वर्ष से कम आयु के सभी बालको को जो अनाथ और अभ्यर्पित है या परिव्यक्त प्रतीत होते है. विशेषज्ञता प्राप्त दत्तक अभिकरण में जहां उपलब्ध है, रखा जाएगा.

2 समाजिक अन्वेषण पंद्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा जिससे समिति को, बालक को पहली बार पेश करने के चार मास के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके.

परंतु अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के लिए जांच पूरी करने का समय वह होगा जो धारा 38 में विनिर्दिष्ट किया जाए.

3 जांच पूरी हो जाने के पश्चात् यदि समिति की यह राय है कि उक्त बालक का कोई कुटुंब या उसका कोई दृश्यमान सहारा नही है या उसे देखरेख या संरक्षण की लगातार आवश्यकता है तो वह तब तक बालक को यदि बालक छह वर्ष से कम आयु का है तो विशेषज्ञ दत्तक

Scanned with CamScanner

अभिकरण में, बाल गृह में या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंम्ब के पास भेज सकेगी जब तक बालक के लिए ऐसे पुनर्वास उपयुक्त, साधन, नही मिल जाते, जो विहित किए जाए या जब तक बालक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता है.

परंतु बाल गृह में अथवा उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में रखें गए बालक की स्थिति का समिति द्वारा ऐसा पुनिर्विलोकन किया जाएगा जो विहित किया जाए.

4 समिति, जिला मजिस्ट्रेट को लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए, मामलों के निपटारे की प्रकृति पर और लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी .

5 जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन करने के पश्चात् समिति को, लंबित मामलो को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय, यदि आवश्यक हो, करने का निदेश देगा आौर ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जो अतिरिक्त समितियों का गठन, यदि अपेक्षित हो, करवा सकेगी परंतु यदि, ऐसे निदेशों के प्राप्त होने के तीन मास के पश्चात् भी समिति द्वारा लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया है तो राज्य सरकार उक्त समिति को समाप्त कर देगी और नई समिति का गठन करेगी.

6 समिति की समाप्ति के पूर्वानुमान में और इस बात को देखते हुए कि नई समिति के गठन में कोई समय बर्बाद न हो, राज्य सरकार, समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगी.

7 उपधारा (5) के अधीन नई समिति के गठन में हुए किसी विलंब की दशा में, पास के जिले की C.W.C अंतरिम कालावधि के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी.

धारा 38 किसी बालक की दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त करने की प्रकिया

1 अनाथ या परित्यक्त बालक को विधिक रूप से मुक्त करने के लिए समिति उसके माता–पिता या संरक्षकों का पता लगायेगी और जांच करेगी जांच के बाद यदि समिति को लगता है कि बालक अनाथ या परित्यक्त है तो समिति उसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी.

यह घोषणा ऐसे बालकों के लिए होगी जो दो वर्ष तक की आयु तक के है और यह बालक के पेश किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर और ऐसे बालकों के लिए, जो दो वर्ष से अधिक आयु के है, चार मास के भीतर की जाएगी.

2 अभ्यर्पित बालक की दशा में धारा 35 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी.

Scanned with CamScanner

3 मानसिक रूप से विकृत माता–पिता के बालक या लैंगिक हमले से पीड़ित व्यक्ति के अवांछित बालक को इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया जा सकेगा.

4 अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने का निश्चय समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा किया जाएगा.

5 समिति, दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालको की संख्या और निर्दिष्ट लंबित मामलों की संख्या के बारे में जिला मजिस्ट्रेट राज्य अभिकरण और प्राधिकरण को प्रतिमास सूचित करेगी.

देखरेख और संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालक

समिति, जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद है, बालक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत S.I.R पर विचार करके और यदि बालक विचार प्रकट करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आदेशों में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगी अर्थात –

(क) बालक के देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद होने की घोषणा,

(ख) माता–पिता या संरक्षक या कुटुंब को बालक कल्याण अधिकारी या पदाभिहित समाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन या उसके बगैर बालक का प्रत्यावर्तन

(ग) ऐसे बालकों को रखने के लिए संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक या अस्थायी देखभाल के लिए दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए या तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि बालक के कुटुंब का पता नहीं लगाया जा सकता है या यदि उसका पता लग भी गया है तो कुटुंब में बालक का प्रत्यावर्तन बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में बालक का स्थानन;

(घ) दीर्घकालीक या अस्थायी देखरेख के लिए "योग्य व्यक्ति" के पास बालक का स्थानन,

(ङ) धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के आदेश

(च) धारा 45 के अधीन प्रयोज्यकता के आदेश,

(छ) ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं या सुविधा क्षेत्रों को, जिनकी देखरेख में बालक को, बालक की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में रखा गया है निदेश जिनके अंतर्गत जरूरत आधारित परामर्श, व्यावसायिक चिकित्सा या व्यवहार उपांतरण

Scanned with CamScanner

चिकित्सा, कौशल प्रशिक्षण, विधिक सहायता, शैक्षणिक सेवाओं और यथा अपेक्षित अन्य विकासात्मक कियाकलापों और जिला बालक कल्याण एकक या राज्य सरकार अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्तन और समन्वय सहित तत्काल आश्रय और सेवाओं से, जैसे कि चिकित्सा देखरेख, मनोविकार चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी निदेश भी है :–

(ज) बालक की धारा 38 के अधीन दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा.

(2) **समिति –**

1 पोषण देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति की घोषणा और

2 धारा 46 के अधीन पश्व देखरेख सहायता प्राप्त करने के लिए,

3 किसी अन्य कृत्य के संबंध में जो विहित किया जाए कोई अन्य आदेश करने के लिए भी आदेश पारित कर सकेगी.

केयर और प्रोटेक्शन के संबंध में आर्डर पास करते समिति यह निर्णय देगी –

1 बालक को केयर अैर सुरक्षा की आवश्यकता है

2 बालक को यहां भेजा जा रहा है समिति उस संस्था की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देगी कि वहां बालक सुरक्षित रहेगा या नहीं

3 बालक को अपने माता–पिता अभिभावक या बालक कल्याण अधिकारी की सुरक्षा में भेज सकती है

4 यह भी देखा जायेगा कि बालक को वहां थोड़े समय के लिये भेजा जा रहा है या अधिक समय के लिए

5 फोस्टर केयर का निर्माण धारा 44 के अंतर्गत होगा

6 स्पोन्सरशिप का निर्णय धारा 45 के अंतर्गत लिया जायेगा

7 बाल को जहां भेजा जा रहा है वहां मेडिकल परामर्श शिक्षा आदि की व्यवस्थायें होनी चाहिये

8 18 वर्ष के बाद जब बच्चा वापस संस्था से आता है तो उसे अपने पैरो पर खड़े होने के संसाधन दिये जाने चाहिए ताकि वह सामान्य जीवन व्यतीत कर सके

Scanned with CamScanner

Sponsership

प्रवर्तकता कार्यकम हेतु चयन मापदण्ड

1 18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका जिनके परिवार की वार्षिक आय निम्न से अधिक न हो.

(क) महानगरों के लिये रूपये 36,000 प्रतिवर्ष

(ख) अन्य नगरों के लिये 33,000 –,,–

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों –,,– 24,000 –,,–

उक्त दोनों शर्तो की पूर्ति अनिर्वाय होगी परन्तु children in street situation , एवं PM cares for children के लिए मापदण्ड शिथिल रहेगा.

माता–पिता के चयन मापदण्ड

1 एकल माता–पिता के बच्चे विशेषकर एकल माता–विछिन्न विवाह स्त्री/कुटुम्ब द्वारा परित्यकता या विधवा के बच्चे .

2 ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा विस्तारित परिवार की देखरेख में रहतें है.

3 माता–पिता द्वारा परित्यक्त ऐसे बच्चे जो विस्तारित परिवार की देखरेख में रह रहे है.

4 ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता कारागृह में है.

5 ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता असहाय/अशक्त या किसी गंभीर बीमारी से पीडित है.

6 ऐसे बच्चे, जिनका गैर कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है या किया जा रहा है.

7 HIV/एड्स प्रभावित बच्चे

8 विशेषकृत आवश्यकता वाले मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे.

Scanned with CamScanner

पुनर्वास प्रवर्तकता के चयन मापदण्ड

1 पालन पोषण देखरेख

2 बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी अथवा अन्य शोषण से पीडित बच्चे जो परिवार की आर्थिक अक्षमता के कारण शिक्षा/प्रशिक्षण से विरत होकर इन परिस्थितियों के शिकार हुये है.

3 सड़क या सड़क जैसी स्थितियों में निवासरत् ऐसे बालक जिन्हें C.W.C द्वारा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के रूप में घोषित किया गया हो तथा वह बालक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संधारित बाल स्वराज पोर्टल में दर्ज हो

4 PM cares for children योजना हेतु पात्र हितग्राही.

Note - 18 साल से अधिक 3 साल तक विशेष after care के रूप में रखा जाता है.

दत्तक ग्रहण

दत्तक ग्रहण के लिए पात्र बालक

1 कोई भी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यार्पित बालक जो समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया है.

2 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधान अनुसार परिभाषित नातेदार का बालक. अधिनियम के अधीन नातेदार से आशय है चाचा या चाची, ताऊ या ताई अथवा मामा या मामी अथवा दादा–दादी अथवा नाना–नानी

3 पति या पत्नी के पूर्व विवाह से बालक या बालिकाओं को सौतेले माता या पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए जैविक माता–पिता द्वारा अभ्यर्पित बालक.

पोषण देखरेख (Foster Care)

फास्टर परिवार होने के लिये पात्रता

1 दोनों भारतीय नागरिक हो

Scanned with CamScanner

2 बालक के पोषण देखरेख हेतु इच्छुक होना चाहिए

3 दोनो की आयु 35 वर्ष से अधिक होना चाहिये तथा शारीरिक भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थय अच्छा होना चाहिये.

4 फॉस्टर परिवार की आय इतनी होनी चाहिये कि वे बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके.

5 फॉस्टर परिवार के सभी सदस्य जो उस परिसर में रहते है, को चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ्य होना चाहिये.

6 बालक के लिये पर्याप्त स्थान तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हो.

7 अपराधिक प्रकरण में अभियोजित न हो अथवा दण्डित न किये गये हो.

8 नियम/निर्देशो के पालन के लिये सहमत हो

9 रिश्तेदारो तथा मित्रों से सहयोगी सामुदायिक संबंध हो.

किन बालकों को फॉस्टर केयर में दिया जा सकता है ?

निम्नलिखित अनाथ/परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक जो C.W.C द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु वैधानिक रूप से निर्मुक्त घोषित किये जा चुके है, को फॉस्टर केयर में दिया जा सकता है.

1 6 से 8 वर्ष आयु के बालक जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए वैधानिक रूप से निर्मुक्त घोषित किये 2 वर्ष हो चुके है किंतु वे दत्तक ग्रहण में नहीं जा सके है.

2 8 से 16 वर्ष के बालक जिन्हे दत्तक ग्रहण के लिए वैधानिक रूप से निर्मुक्त घोषित किये. 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हे किंतु वे दत्तक ग्रहण में नही जा सके है.

3 विशेष आवश्यकता वाले ऐसे बालक जिन्हे दत्तक ग्रहण के लिए वैधानिक रूप से निर्मुक्त घोषित किये 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है किंतु वे दत्तक ग्रहण में नहीं जा सके है.

JJ act की धारायें

(1) धारा 2 की उपधारा (14) के खंड vii के अधीन गुमशुदा या भागा हुआ बालक जिसके माता–पिता का पता नहीं लगाया जा सकता है की दशा में जांच की रीति

Scanned with CamScanner

(2) धारा 2 की उपधारा (18) के अधीन किसी बालगृह से सहबद्ध बाल कल्याण अधिकारी के दायित्व

(3) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की अर्हताऐं

(4) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के सभी सदस्यों का समावेश प्रशिक्षण और संवेदीकरण

(5) धारा 4 की उपधारा (6) के तहत् सदस्यों की पदावधि व रीति जिसमें ऐसा सदस्य पद त्याग सकेगा.

(6) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों का समय और उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रकिया के नियम

(7) धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन किसी दुभाषी ए या अनुवाद की अर्हताए, अनुभव और फीस का संदाय

(8) धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (6) के अधीन बोर्ड का कोई अन्य कृत्य

(9) वे व्यक्ति जिनके माध्यम से धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन कथित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा और वे रीति जिसमें ऐसे बालक को किसी अन्वेषण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा

(10) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे उसके द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं गया है. संबंध में ऐसी रीति, जिसमें उस व्यक्ति को तब तक संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष पेश न किया जाए.

(11) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन त्रैमासिक आधार पर बोर्ड द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट का लंबन की सूचना देने का रूप विधान,

(12) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन मानिटरी प्रकियाऐं और मानीटरी प्राधिकारियों की सूची,

(13) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें बोर्ड, पुलिस या न्यायालय द्वारा बालक के सुसंगत अभिलेखों को नष्ट किया जा सकेगा.

(14) धारा 27 की उपधारा की उपधारा (5) के अधिन बाल कल्याण समिति के सदस्यों की अर्हताएं

(15क) धारा 27 की उपधारा (8) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को रिर्पोट प्रस्तुत करने का प्ररूप,

(16) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन बाल कल्याण समिति की बैठकों में कारबार का संव्यवहार करने के संबंध मे नियम और प्रकियाऐं

(17) धारा 30 के खंड (भ) के अधीन परित्यक्त या खोए हुए बालकों को उनके कुटुंबो को प्रत्यावर्तित करने की प्रकिया,

Scanned with CamScanner

(18) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन समिति को रिर्पोट प्रस्तुत करने की रीति और बालक को बालगृह या आश्रयगृह या उचित सुविधा क्षेत्र योग्य व्यक्ति को भेजने और सौंपने की रीति

(19) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन बाल कल्याण समिति द्वारा जांच करने की रीति

(20) धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन यदि बालक छह वर्ष से कम आयु का है तो बालक को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालगृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंबतब तक भेजने की रीति जब तक बालक के समुचित पुनर्वास के लिए उचित साधन नही मिल जाते है जिसके अंतर्गत वह रीति भी है जिसमें बालगृह में या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में रखे गए बालक की स्थिति का समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा.

(21) वह रीति जिसमें धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को मामलों के लंबन के पुनर्विलोकन की त्रैमासिक रिर्पोट प्रस्तुत की जा सकेगी.

(22) धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अधीन समिति के अन्य कृतयों से संबंधित कोई अन्य आदेश,

(23) धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन समिति द्वारा राज्य अभिकरण और प्राधिकरण को विधिक रूप से दत्तक ग्रहण करने के लिए मुक्त घोषित बालकों की संख्या और लंबित मामलों की संख्या के संबंध में प्रत्येक मास दी जाने वाली सूचना,

(24क) धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्यावर्तन, मृत्यु और भाग जाने के संबंध में तिमाही रिपोर्ट का प्रारूप

(25) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन सभी संस्थाओं को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा

(26) कोई संस्था जो धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन ऐसी संस्था जो पुनर्वास और पुनःएकीकरण संवाएं प्रदान करने में असफल रहती है के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या विधारित करने की प्रकिया

(27) धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें खुले आश्रम द्वारा जिला बाल संरक्षण एकक और समिति को प्रतिमास सूचना भेजी जाएगी,

(28) धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन पोषण देखरेख जिसके अंतर्गत समूह पोषण देखरेख भी है में रखने की प्रकिया,

(29) धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन पोषण देखरेख में बालकों के निरीक्षण की प्रकिया

(30) धारा 44 की उपधारा (6) के अधीन वह रीति जिसमें पोषण कुटुंब द्वारा बालक को शिक्षा स्वास्थय और पोषण प्रदान किया जाएगा

(31) धारा 44 की उपधारा (7) के अधीन वह प्रकिया और मानदण्ड जिसमें बालकों को पोषण देखरेख सेवाएं प्रदान की जाऐंगी

Scanned with CamScanner

(32) धारा 45 की उपधारा (8) के अधीन बालकों की भलाई का पता लगाने के लिए समिति द्वारा पोषण पोषण कुटुंबो के निरीक्षण का रूप विधान,

(33) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन बालकों की प्रवर्तकता के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे व्यष्टि से व्यष्टि प्रवर्तकता समूह पूवर्तकता या सामुदायिक प्रवर्तकता का जिम्मा लेने का प्रयोजन,

(34) धारा 45 की उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तकता की अवधि

(35) धारा 47 के अधीन 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले , संस्था की देखरेख छोड़ने वाले किसी बालक को वित्तीय सहायता प्रदान करने की रीति

(36) धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन संप्रेक्षण गृहों का प्रबंध और मानीटरी जिसके अंतर्गत विधि का उल्लघंन करने के अभिकथित किसी बालक के पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाए जाने के लिए मानक और उनके द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी है,

(37) धारा 48 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन विशेष गृहों का प्रबंधन और मानीटरी जिसके अंतर्गत मानक और उनके द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाऐं भी है

(38) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन बालगृहों की मानीटरी और प्रबंधन जिसके अंतर्गत मानक और उनके द्वारा प्रत्येक बालक के लिए व्यष्टिक देखरेख योजनाओं पर आधारित उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की प्रकृति है,

(40) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें बोर्ड या समिति, तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र को, बालक की देखरेख के लिए सुविधा तंत्र और संगठन उपयुक्तत के संबंध में सम्यक जांच के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बालक का अस्थायी रूप से लेने के लिए मान्यता

(41) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और पुनः मिलाने के लिए आधारभूत अपेक्षाओं जैसे खाद्य आश्रम, वस्त्र और चिकित्सा की सुविधाऐं किसी संस्था द्वारा उपलब्ध की जाएंगी

(42) धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें संस्थान के प्रबंधन और प्रत्येक बालक की प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रबंधन समिति स्थापित द्वारा किए जा सकने वाले कार्यकलाप,

(43) धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन बाल समितियों द्वारा किए जा सकने वाले कार्य कलाप

(44) धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन राज्य और जिले के लिए रजिस्ट्रीकृत या उचित के रूप में मान्यता प्रदान की गई सभी संस्थाओं के लिए निरिक्षण समितियों की नियुक्ति,

(45) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकको, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं या मान्यता प्राप्त उचित सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी जिसके अंतर्गत अवधि और व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से भी है,

Scanned with CamScanner

(46) धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें संस्थाऐं विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगी

(47) धारा 68 के खंड (ङ) के अधीन प्राधिकरण के कोई अन्य कृत्य,

(48) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण की विषय समिति के सदस्यों के चयन या नाम निर्देशन का मापदंड और उनकी पदावधि के साथ उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्ते,

(49) धारा 69 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति बैठक करेगी

(50) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी,

(51) धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के कृत्य

(1) धारा 73 की उपधारा (i) के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकरण, उचित लेखे और सुसंगत दस्तावेज रखेगाा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा,

(2) धारा 92 के अधीन वह अवधि जो समिति या बोर्ड द्वारा बालकों के, जो ऐसे रोग से ग्रस्त है जिसके लिए लंबे चिकित्सय उपचार की आवश्यकता है या जिन्हे शारीरिक या मानसिक रोग है जिसका उपचार किसी उचित सुविधा तंत्र में होगा के उपचार के लिए आवश्यक समझी जाए.

(3) धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन किसी बालक को स्थानांतरित करने की प्रकिया,

(4) धारा 95 की उपधारा (3) के अधीन बालक के अनुरक्षक कर्मचारि वृंद को यात्रा भत्ते का उपवंध,

(5) धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन समिति या किसी बोर्ड द्वारा कोई जांच या अपील या पुनरीक्षण करते समय अनुकरण की जाने वाली प्रकिया

(6) धारा 105 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें किशोर न्याय निधि को प्रशासित किया जाएगा

(7) धारा 106 के अधीन राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बाल संरक्षण एककों का कार्यकरण

(lvii) धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए यथा स्थिति राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को समर्थ बनाना

(lviii) ऐसा कोइ अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए

Scanned with CamScanner

C.W.C के दस्तावेज (प्रकरण प्रस्तुत करने से पहले)

1	थाना या चाईल्ड लाईन का पत्र
2	फॉर्म 17
3	बालक/बालिका का फोटो
4	F.I.R की कॉपी
5	बरामदगी पंच नामा
6	अपराध विवरण
7	संपत्ति जप्ती
8	बालक/बालिका का कथन
9	माता–पिता का कथन
10	गिरफ्तारी पत्रक
11	गिरफ्तारी सूचना
12	मेडिकल रिपोर्ट
13	बालक/बालिका का अंक सूचि/जन्म प्रमाण पत्र
14	बालक/बालिका का आधार कार्ड
15	माता–पिता का आधार कार्ड
16	राशन कार्ड

Scanned with CamScanner

I.P.C की धारायें

धारा 376

किसी भी बालिका के साथ बालात्कार करना

दण्ड – न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की सजा

Note आपसी सहमति से किया गया सम्भोग बालात्कार नही है.

7 परिस्थिति

1 इच्छा के विरूद्ध
2 सहमति के बिना
3 उस स्त्री सम्मति से किंतु यह सम्मति उसे या उससें हितबद्ध किसी अन्य को मृत्यू या उपकृति (चोट) के भय में डालकर प्राप्त की गई है.
4 उस स्त्री की सहमति से जब वह पुरूष भलीभांती जानता है कि वह उसका पति नही है और स्त्री ने और स्त्री ने सहमति इस कारण से दी है कि वह उसका पति है ऐसा वह विश्वास करती है जो विधि द्वारा मान्य है
5 उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देते समय वह विकृत हो या फिर नशीले पदार्थ खिलाकर सम्मति ली गई हो
6 18 वर्ष से कम हो और सम्मति देने में असमर्थ

धारा 376 और प्रश्नोत्तरी

प्र.1 क्या आप लोग कितने साल से एक दूसरे को जानते है?
प्र.2 धमकी देकर तो सम्बध नही बनाया
प्र.3 आपको नशीला पदार्थ खिलाकर तो गलत काम नही किया
प्र.4 आपकी सहमति से गलत सम्बन्ध बना है. क्या ?

Scanned with CamScanner

धारा 363

अपहरण करना

दण्ड – 7 साल
गैर समझौता
जमानती

Note lower court

धारा 363 + प्रश्नोत्तरी

प्र.1 क्या आप अपहरणकर्ता को पहले से जानते है ?
प्र.2 अपहरण करने का क्या कारण है ?
प्र.3 अपहरण कहां, कब, कैसे हुआ ?
प्र.4 परिवार वालो को पहले बताया था क्या ?

सपुर्दगी + प्रश्नोत्तरी

प्र.1 आर्थिक स्थिति कैसी है ?
प्र.2 घर का वातावरण कैसा है ?
प्र.3 शिक्षा
प्र.4 आप अभी किसके साथ अपने आपको सुरक्षित पाते है ?
प्र.5 परिवार वालों का आपके साथ कैसा व्यवहार है ?

धारा 366

1 किसी महिला क अपहरण करना और उसको मजबूर करना (शादी करने के लिए)

दण्ड – 10 साल की सजा + जुर्माना
गैर जमानती + गैर समझौता वादी

Scanned with CamScanner

Note 1 केस सेशन कोर्ट में चलता है.
2 पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है.

धारा 366 + प्रश्नोत्तरी

मुख्य प्रश्न

प्र.1 क्या आप उसे पहले से जानती है या देखी है ?
प्र.2 किस कारण से वह आपका पीछा करता था ?
प्र.3 आपने पहले उस व्यक्ति के बारे में संदेह व्यक्त कर किसी को बताया था ?

सपुर्दगी के लिए प्रश्नोत्तरी

प्र.1 आपके परिवार वाले आपको समझते है ?
प्र.2 परिवार में लोग क्या करते है ?
प्र.3 आप परिवार में अपने आपको सुरक्षित महसूस करते है ?

धारा 354 (छेडछाड)

354 – छुने या शरीर को छति पहुचाने से, घूरने या गलत तरीके से देखने या गलत साहित्य या विडियो दिखाने से है.

354 A (1) किसी को गलत नियत से छूना
(2) किसी महिला से सेक्स की मांग करना
(3) महिला को बिना मर्जी के पोर्न दिखाना
(4) किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करना

Note - 1 साल से 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान

354 B 1) महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करना, कपडे उतारने पर मजबूर करना या उकसाना

Scanned with CamScanner

Note - कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान

354 C किसी महिला के प्राइवेट एक्ट की फोटो लेना या उसको फैलाना

Note - पहली बार दोषी पाये जाने पर 1 से 3 साल जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा

354 D किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसका पीछा करना या संपर्क साधने की कोशिश करता है

Note - 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है

एसिड अटैक

धारा 326 ए और 326 बी के तहत केस दर्ज होगें

पोक्सो एक्ट व 354 धारा

पोक्सो एक्ट की धारा 718 और I.P.C की धारा 354

354 (क)

Note - दण्ड 3 से 5 साल + जुर्माना

धारा 354 और प्रश्नोत्तरी :–

प्र.1 छेडछाड किस स्थान पर हुई थी
प्र.2 घटना के बारे में किसी को जानकारी दी
प्र.3 अकेले में तो नही बुलाते है
प्र.4 कपड़े तो फटे नही है और चोट तो नही लगी है. नकोचा तो नहीं है चकोटी तो नही काटी

Note - यह प्रश्न कम्पन्न सेशन के लिए पूछा जा सकता है

Scanned with CamScanner

सपुर्दगी के लिए प्रश्नोत्तरी

1 आर्थिक स्थिति कैसी है ?

2 घर का वातावरण कैसा है ?

3 शिक्षा

4 जहां बच्ची को भेजा जा रहा है वह स्थान सुरक्षित है कि नही ?

5 परिवार को सरकारी योजना से जोड़ना

Note - धारा 354 के केस में कम्पसेशन (क्षतिपूर्ति) भी मिलता है इसके लिए बालिका के कपड़े फटे हुए हों और शरीर में चोट के निशान हो.

धारा 323

किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुचाना या किसी को गुमराह करना

दण्ड – 1 वर्ष तक की सजा या एक हजार दण्ड की सजा

उदाहरण – शारीरीक चोट, सम्पति को नष्ट करना या किसी घातक बीमारी से संकमित करना.

धारा 323 और प्रश्नोत्तरी

प्र.1 व्यक्ति आपसे कब से जलता है ?

प्र.2 व्यक्ति के ईर्ष्या का क्या कारण है ?

प्र.3 ईर्ष्या वश कभी चोट पहुचाने की कोशिश की है ?
कैसे (मानसिक या शारीरीक)

Scanned with CamScanner

सपुर्दगी के लिए प्रश्नोत्तरी

प्र.1 परिवार में सब लोग आपसे अच्छे से बात करते है कि नही ?
प्र.2 घर में कौन कौन रहता है ?
प्र.3 आपको गुस्सा कब कब आता है ?

धारा 506 (धमकी देना)

अगर कोई दे जान से मारने की धमकी

Normal धमकी – (2 साल की सजा का प्रावधान)
घातक हमले व जान से मारने की धमकी (7 साल तक सजा)

धारा 506 और प्रश्नोत्तरी

प्र.1 धमकी का कारण क्या है ?
प्र.2 धमकी किससे देता है ?
प्र.3 धमकी देते समय कोई समान फेंकता तो नही है ?
प्र.4 धमकी कहां देता है ? (अपने घर बुलाता है या आपके अपने घर पर आकर देता है)
प्र.5 धमकी में क्या कहता है ?

Note - यदि किसी से हमारा किसी भी प्रकार का झगड़ा हुआ है तो हमें राजीनामा के लिए थाना या न्यायालय में ही कराना है उनके घर न तो जाना है और न ही उसे बुलाना है और न ही फोन करना.

सपुर्दगी के लिए प्रश्नोत्तरी

प्र1 परिवार में कौन कौन है और क्या करते है ?
प्र2 सबका स्वभाव कैसा है ? (खास कर माता–पिता का)
प्र3 माता–पिता की आर्थिक स्थिति क्या है ?
प्र4 बच्ची/बच्चा आगे पढ़ना चाहता है कि नही ?

Scanned with CamScanner

धारा 504 (अपमान करना)

1 अपमान करना
2 अपराध करने को उकसाना

दण्ड :– दो साल की सजा का प्रावधान

धारा 504 और प्रश्नोत्तरी

प्र1 व्यक्ति अपमान क्यो करता है ?

प्र2 अपमान सार्वजनिक करता है या अकेले में ?

प्र3 दूसरो के सामने क्या बड़े प्यार से पेश आता है ?

प्र4 क्या गलती होने पर दूसरो को दण्ड देने के लिए उकसाता है या स्वयं ही दण्ड देता है ?

सपुर्दगी के लिए प्रश्नोत्तरी

प्र1 आपको कौन कौन प्यार करता है परिवार में

प्र2 परिवार में आपको सभी डांटते है ? हां या नही

प्र3 नई वस्तुऐं या कपड़े आते है तो आपको दिया जाता है या नही

प्र4 आप उस घर में रहना चाहते है या नहीं

धारा 341

1 जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है

2 और वह उसके द्वारा समझौता करने योग्य नही है

दण्ड – (1) 1 महिने का कारावास

Scanned with CamScanner

(2) 500 रूपये का आर्थिक दण्ड

धारा 394

किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश करके डकैती करने का प्रयत्न करते है या डैकेती के समय में आप जानबूझकर चोटिल करते है या वॉलेन्टरी हर्ट करते है तो यह धारा लगती है.

दण्ड – न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास + जुर्माना

धारा 394 और प्रश्नोत्तरी

प्र1 वह आपसे क्या बात करना चाहता था

प्र.2 आप उससे क्यों बात नहीं करना चाहते थे

प्र.3 आप अपने माता पिता को कब बतायें ?

सपुर्दगी क लिए प्रश्नोत्तरी

प्र.1 क्या आपके परिवार वाले आपको आगे पढ़ाना चाहते है

प्र.2 आपके परिवार में कौन कोन है और क्या काम करते है ?

प्र.3 आपके माता पिता गुस्सैल तो नहीं है ?

प्र.4 आप अभी कहां और किसके पास रहना चाहते हों ?

धारा 397

1 हथियार दिखाकर लूटपाट करना

Scanned with CamScanner

सजा – 7 साल का कारावास

धारा 509

1 लज्जा भंग करने के आशय से
लड़कियो को अपशब्द कहना

सजा – 1 वर्ष की सजा + जुर्माना

धारा 450

घर में घुसना ऐसा अपराध करने के लिए जिसकी सजा उम्र कैद हो

दण्ड – न्यूनतम 10 साल का कारावास व अधिकतम उम्र कैद

धारा 384 व 383

1 रंगदारी मांगना
2 ब्लैक मेल करना
3 जबरन वसूली करना

दण्ड – 3 साल की सजा + जुर्माना

धारा 456

1 रात के समय चोरी छिपे व घर में छुपना
2 व दिवारे की छलांग लगाकर घुसना

सजा – 3 साल – जुर्माना

Scanned with CamScanner

धारा 452

1 घर में घुसकर हमला करना
2 जबरदस्ती दबाव बनाना

दण्ड – 7 वर्ष सजा + आर्थिक दण्ड

धारा 294

1 सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाना
2 किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाना
3 अश्लील गीत जिससे किसी व्यक्ति के मान सम्मान पर चोट पहुचाना

दण्ड – अधिकतम 3 महिने तक बढ़ाया जायेगा + आर्थिक दण्ड

धारा 365

1 धोखा व जबरन किया गया अपराध

सजा – 7 साल तक सजा

धारा 342

1 गैर कानूनी तरीके से किसी को बनाया बंधक

दण्ड – 1 साल की सजा

Note - 16 धाराओं में वे सभी प्रश्न सुपूर्दगी के लिए पूछे जायेगे जो कि पहले की धाराओं में पूछे गये हैं.

Scanned with CamScanner

लैंगिक अपराध

बालक (देखरेख और संरक्षण) व C.W.C

नियम (4) उपनियम (3) के अधीन C.W.C को स्वप्रेरणा से या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन यह शक्ति प्राप्त है कि वह 3 दिवस के अंदर बालक को उसके कुटुम्ब या साक्षी गृहस्थ की अभिरक्षा से अलग से जाने और उसे किसी बालगृह या आश्रय गृह में रखने की आवश्यकता है. (5) उपनियम (4) के अधीन C.W.C बालक द्वारा कहा गया मत या राय को बालक के सर्वोत्तम हित पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा.

1 बालक की तुरंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के जिसके अंतर्गत चिकित्सीय आवश्यकताऐं है माता–पिता या माता या पिता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है.

2 बालक की उसके माता–पिता, कुटुम्ब और विस्तुत कुटुम्ब में रहने की आवश्यकता और उनके संबंध बनाए रखना

3 बालक की आयु और परिपक्वता का स्तर, लिंग और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी लेगी

4 बालक की निःशम्तता यदि कोई हो.

5 ऐसी कोई भी दीर्घकालिक रूग्णता जिससे बालक ग्रस्त हो सकता है ?

6 बालक या बालक के घर के किसी सदस्य का पारिवारिक हिंसा का कोई इतिहास हो तो उसकी जानकारी

7 कोई अन्य सुसंगत कारण जो बालक के सर्वोत्तम हित पर प्रभाव डालता हो.
परंतु ऐसा अवधारणा किए जाने के पूर्व एक जांच ऐसे रूप में की जाएगी जिससे बालक को अनावश्यक रूप से कोई क्षति या असुविधा न हो

C.W.C की चुनौतियां

1 एकल परिवार के बालक–बालिकाओं जहां मां या पिता अपने बच्चों को पालने में अक्षम है

2 बच्चे रेस्क्यू करके लाये जाते है परिवार वाले बच्चे को पालना नही चाहते और पिता या मां अक्षम है.

Scanned with CamScanner

3 बच्चा यदि मानसिक रोगी है.

4 मां या पिता अपने बच्चो को अपने पास रखना नहीं चाहतें है

5 मां या पिता अपने बच्चे को न ही शासन को सौंपना चाहते है और न ही उनका पालन पोषण करना चाहते है.

6 जब बालक बालिकाओं के माता–पिता जेल में हो.

7 जब बच्चों के रिश्तेदार तैयार है लेकिन अपना नाम फंसाना नही चाहते है.

8 जब परिवार वाले बच्चे को रखना तो चाहते है लेकिन परिवार का वातावरण बच्चों के उपयुक्त न हो.

9 परिवार में बड़े बच्चे (18 साल की उम्र) न हो.

10 परिवार में बड़े बच्चे है लेकिन उत्तर–दायित्व लेना नही चाहते है.

11 निःशक्त बालक बालिकाओं को कोई रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं होते है.

12 ऐसे बच्चे जो नशाखोरी में लिप्त है और हमेशा घर छोड़कर भाग जाते है.

13 ऐसे बच्चे जो भागकर दूसरे राज्य में आ जाते है और उनका परिवार दूसरे देश रहता है और बच्चे को उनका पता नहीं मालूम रहता है.

14 माता पिता दुसरी शादी कर लेते है व बच्चों का पता ही नही लगाते

15 बच्चा इतना अधिक घर से भागता है कि माता पिता परेशान हो जाते है और अपने घर में रखने से मना कर देते है.

16 माता पिता का अपना घर न होना व जो स्वयं सड़क में रह रहे हो.

17 अनाथ बालक ही फोस्टर केयर में जाने से मना कर दे या लौट आये तो ऐसे बालक को रखना C.W.C के समक्ष चुनौती का काम है.

18 बच्चे बहुत ही छोटी आयु में खो गये थे उन्हें अपनी मम्मी पापा की याद भी नहीं है और मां बाप भी अपने बच्चो का नही पता लगा पा रहे है.

19 ऐसा बालक जिनकी मां विक्षिप्त है और उनके रिश्तेदार स्पांसरशीप में (Rs 4000/–) रूपये देने के बावजूद बालक को रखना नहीं चाहते है.

Scanned with CamScanner

20 माता पिता अपनी जिंदगी को बनाने के चक्कर एक से अधिक शादी करते है और पहले आदमी बच्चे को ले जाने में रूचि नहीं दिखाते यदि उनके रिश्तेदार रखने को तैयार हो भी जाते है तो उन्हे जान से मारने की धमकी देते या स्वयं सुसाइड कर लूंगी करके डराते है तो रिश्तेदार डर के मारे सामने ही नहीं आते है.

21 जब बालक ही स्पाउसंरशीप में मिलने वाली राशि के लिए परिवार वालों के साथ बिजनेस करते है कि मैं तभी स्कूल जाऊगां जब तुम मुझे रोज दस रूपया दोगे.

22 जब बालक के रिश्तेदार व एकल माता या एकल पिता पैसा देने के बावजूद भी बालक को रखना नहीं चाहते.

23 बालिका नबालिग और उसका एक बेटा है जिसे वह अभ्यार्पित करना नही चाहती है और उसके माता–पिता व रिश्तेदार रखना नहीं चाहते है और छोटी बच्ची का बाप का भी जेल में है.

24 पिता शराबी है और उसका घर द्वार नहीं है व स्वयं ठेले के ऊपर सोता है. बालिका को उसे कैसे सौंप दे. रिश्तेदारो का पता नही चल रहा है.

25 बालक 1 साल का है मां विक्षिप्त है और कोई भी एसे संरक्षण में लेने नही आया है. यदि ऐसे कई कारण है जो चुनौतियां बनकर C.W.C के समक्ष आते रहते है.

बालक कल्याण समिति और महत्वपूर्ण धारायें

अध्याय 5 **(सारांश में)**

धारा

27 C.W.C
28 समिति के संबंध में प्रकिया
29 समिति की शक्तियां
30 समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व

अध्याय 6

धारा

31 समिति के समक्ष पेश किया जाना
32 संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना
33 रिपोर्ट न किए जाने का अपराध
34 रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति
35 बालकों का अभ्यर्पण

Scanned with CamScanner

3 बच्चा यदि मानसिक रोगी है.

4 मां या पिता अपने बच्चो को अपने पास रखना नहीं चाहतें है

5 मां या पिता अपने बच्चे को न ही शासन को सौंपना चाहते है और न ही उनका पालन पोषण करना चाहते है.

6 जब बालक बालिकाओं के माता–पिता जेल में हो.

7 जब बच्चों के रिश्तेदार तैयार है लेकिन अपना नाम फंसाना नही चाहते है.

8 जब परिवार वाले बच्चे को रखना तो चाहते है लेकिन परिवार का वातावरण बच्चों के उपयुक्त न हो.

9 परिवार में बड़े बच्चे (18 साल की उम्र) न हो.

10 परिवार में बड़े बच्चे है लेकिन उत्तर–दायित्व लेना नही चाहते है.

11 निःशक्त बालक बालिकाओं को कोई रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं होते है.

12 ऐसे बच्चे जो नशाखोरी में लिप्त है और हमेशा घर छोड़कर भाग जाते है.

13 ऐसे बच्चे जो भागकर दूसरे राज्य में आ जाते है और उनका परिवार दूसरे देश रहता है और बच्चे को उनका पता नहीं मालूम रहता है.

14 माता पिता दुसरी शादी कर लेते है व बच्चों का पता ही नही लगाते

15 बच्चा इतना अधिक घर से भागता है कि माता पिता परेशान हो जाते है और अपने घर में रखने से मना कर देते है.

16 माता पिता का अपना घर न होना व जो स्वयं सड़क में रह रहे हो.

17 अनाथ बालक ही फोस्टर केयर में जाने से मना कर दे या लौट आये तो ऐसे बालक को रखना C.W.C के समक्ष चुनौती का काम है.

18 बच्चे बहुत ही छोटी आयु में खो गये थे उन्हें अपनी मम्मी पापा की याद भी नहीं है और मां बाप भी अपने बच्चो का नही पता लगा पा रहे है.

19 ऐसा बालक जिनकी मां विक्षिप्त है और उनके रिश्तेदार स्पांसरशीप में (Rs 4000/–)
रूपये देने के बावजूद बालक को रखना नहीं चाहते है.

Scanned with CamScanner

20 माता पिता अपनी जिंदगी को बनाने के चक्कर एक से अधिक शादी करते है और पहले आदमी बच्चे को ले जाने में रूचि नहीं दिखाते यदि उनके रिश्तेदार रखने को तैयार हो भी जाते है तो उन्हे जान से मारने की धमकी देते या स्वयं सुसाइड कर लूंगी करके डराते है तो रिश्तेदार डर के मारे सामने ही नहीं आते है.

21 जब बालक ही स्पाउसंरशीप में मिलने वाली राशि के लिए परिवार वालों के साथ बिजनेस करते है कि मैं तभी स्कूल जाऊगां जब तुम मुझे रोज दस रूपया दोगे.

22 जब बालक के रिश्तेदार व एकल माता या एकल पिता पैसा देने के बावजूद भी बालक को रखना नहीं चाहते.

23 बालिका नबालिग और उसका एक बेटा है जिसे वह अभ्यार्पित करना नही चाहती है और उसके माता–पिता व रिश्तेदार रखना नहीं चाहते है और छोटी बच्ची का बाप का भी जेल में है.

24 पिता शराबी है और उसका घर द्वार नहीं है व स्वयं ठेले के ऊपर सोता है. बालिका को उसे कैसे सौंप दे. रिश्तेदारो का पता नही चल रहा है.

25 बालक 1 साल का है मां विक्षिप्त है और कोई भी एसे संरक्षण में लेने नही आया है. यदि ऐसे कई कारण है जो चुनौतियां बनकर C.W.C के समक्ष आते रहते है.

बालक कल्याण समिति और महत्वपूर्ण धारायें

अध्याय 5 **(सारांश में)**

धारा

27 C.W.C

28 समिति के संबंध में प्रक्रिया

29 समिति की शक्तियां

30 समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व

अध्याय 6

धारा

31 समिति के समक्ष पेश किया जाना

32 संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना

33 रिपोर्ट न किए जाने का अपराध

34 रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति

35 बालकों का अभ्यर्पण

Scanned with CamScanner

36	जांच
37	C.N.C.P वाले बालक के बारे में पारित आदेश
38	किसी बालक की दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रकिया

अध्याय 7

धारा

39	पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रकिया
40	C.N.C.P बालक का प्रत्यावर्तन
41	संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण
42	संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति
43	खुला आश्रय
44	पोषण देखरेख
45	प्रवर्तकता
46	C.N.C.P बालकों की पश्चातवर्ती देखरेख
47	संप्रेषण गृह
48	विशेष गृह
49	सुरक्षित स्थान
50	बाल गृह
51	उचित सुविधा तंत्र
52	योग्य व्यक्ति
53	रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं में पुनर्वास और पुनः मिलाने की सेवाऐं और उनका प्रबंध
54	रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का निरीक्षण
55	संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन

अध्याय 9

धारा

74	बालक की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध
75	बालक के प्रति कूरता के लिए दंड
76	भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन
77	बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति
78	किसी बालक का किसी मादक लिकए, स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के विकय, फुटकर कय,विकय उसे साथ रखने, उसकी पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना

Scanned with CamScanner

79 किसी बाल कर्मचारी का शोषण

80 विहित प्रकियाओं का अनुकरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय

81 बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन

82 शारीरिक दंड

83 उग्रवादी समूहों या अन्य व्यस्कों द्वारा बालक का उपयोग

84 बालक का व्यपहरण और अपहरण

85 निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध

86 अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय

87 दुष्प्रेरण

88 वैकल्पिक दंड

89 इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध

अध्याय 10

धारा

90 बालक के माता–पिता या संरक्षक की हाजिरी

91 बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना

92 किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की अपेक्षा वाले रोग से पीड़ित बालक का स्थानन

93 ऐसे बालक का स्थानांतरण, जो मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल या अन्य मादक द्रव्यों का आदी है

Scanned with CamScanner

94 आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण

95 बालक का उसके निवास–स्थान को स्थानांतरण

96 बालक का भारत के विभिन्न भागों में बाल गृहों या विशेष गृहों या उचित सुविधा तंत्रों या योग्य व्यक्तियों को स्थानांतरण

97 किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना

98 किसी संस्था में रखे गए बालकों बालक को अनुपरिस्थिति की इजजत

99 रिपोर्टो का गोपनीय माना जाना

100 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

101 अपीलें

102 पुनरीक्षण

103 जांच, अपीलों और पुनरीक्षण कार्यवाहियों में प्रक्रिया

104 समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति

105 किशोर न्याय निधि

106 राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण एकक

107 बालक कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक

108 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता

109 अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना

110 नियम बनाने की शक्ति

111 निरसन और व्यावृति

112 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

डॉ. श्रुति खरे

98, सृष्टि कालोनी
साइको एजुकेशनल रिसर्च सेंटर
राजनांदगांव (छ.ग.)
मो. नं. – 8319825391, 9406329982

Scanned with CamScanner